DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF DIRECTOR (A & P)/Parliament Cell
VARUNALAYA PHASE-II
KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
PHONE:- 011-23544794
E-mail:- djbdirector@gmail.com

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ **Unst.-155/CM-14** Dated: 15.12.2023

To
Shri Neeraj Aggarwal
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi – 110054.

Subject:-Vidhan Sabha Un-starred Question No. 155 raised by Hon'ble MLA Sh. Ram Singh Bidhuri for 18.12.2023.

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VII/2020-25/VSS/Ques. Branch/6312 date 07.12.2023 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

Director (Admn.& Personnel)

Cheshta Yadav, IAS
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ **Unst.-155/CM-14** Dated: .12.2023

Copy to:

1. Secretary to Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
2. CEO, Delhi Jal Board.
3. Member (A), Delhi Jal Board.
4. Member (DR.), DJB
5. Director (F&A), DJB
6. Director, Directorate of Information & Publicity, Block No. IX, Old Secretariat
7. Office Copy.

Director (Admn.& Personnel)

Cheshta Yadav, IAS
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :– दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :– निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 155
दिनांक :– 18.12.2023
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 1 जुलाई, 2022 व 10 अक्टूबर, 2022 बोर्ड मीटिंग में कितने एसटीपी के अपग्रेडेशन व नवीनिकरण के कार्यों के आवंटन की मंजूरी दी गई,	दिनांक 01.07.2022 को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में 6 एसटीपी के संवर्द्धन/उन्नयन का कार्य प्रदान किया गया और दिनांक 10.10.2022 को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में 4 एसटीपी के संवर्द्धन/उन्नयन का कार्य प्रदान किया गया।
ख)	इन कार्यों की अनुमानित लागत क्या है, इन कार्यों की अनुमानित लागत के उपरान्त औचित्य लागत क्या नियत की गई तथा इन कार्यों को कितनी लागत पर आवंटित किया गया,	10 एसटीपी के संवर्द्धन/उन्नयन के इन सभी कार्यों की अनुमानित लागत 1498.80 करोड़ रुपये थी। सभी 10 एसटीपी की औचित्य लागत 1843 करोड़ रुपये थी। 10 एसटीपी के संवर्द्धन/उन्नयन का कार्य 1936.09 करोड़ रुपये में प्रदान किया गया।
ग)	क्या यह सत्य है कि एजेंसियों को उपरोक्त कार्य औचित्य लागत से लगभग पांच प्रतिशत अधिक पर कार्य आवंटित किया गया,	हाँ, डीजेबी कार्यों के निष्पादन के लिए मोटे तौर पर सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का पालन करता है। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, उचित दरों से 5% तक की भिन्नता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। विशिष्ट स्थितियों और विशेष परिस्थितियों में 10% तक बदलाव की अनुमति है। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का प्रासंगिक खंड, अध्याय 4- बोली प्रणाली का तरीका, बिंदु संख्या 11 ई-निविदाओं का प्रसंस्करण, उप खंड (25), प्रावधानों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है: - "उचित दरों में 5% तक की भिन्नता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। विशिष्ट स्थितियों और विशेष परिस्थितियों में 10% तक बदलाव की अनुमति है। ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड में रखा गया है। इस सीमा से अधिक की निविदाएं स्वीकार नहीं की जातीं।"
घ)	यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;	उपरोक्तानुसार ।
ड)	क्या इन कार्यों से संबंधित निविदा नियम और शर्तों में क्या किसी विशेष तकनीकी का होना आवश्यक किया गया था;	हाँ

च)	इन एसटीपी को पारंपरिक तकनीक, जो कि एनजीटी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है और 45 एमजीडी कोंडली एसटीपी में इसका उपयोग हुआ है, द्वारा भी अपग्रेड किया जा सकता था तो इन एसटीपी को नई तकनीक द्वारा अपग्रेडेशन का प्रावधान निविदा में रखने के क्या कारण है;	एसटीपी को मोटे तौर पर डीपीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उन्नत किया गया है और उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी को सभी एसटीपी के लिए कोंडली एसटीपी के समान रखी गई है।
छ)	टीकेएन को निविदा के कार्य के दायरे से बाहर रखे जाने के क्या कारण हैं,	माननीय एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, यह सुझाव दिया गया था कि नाइट्रिफिकेशन (अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करना) के लिए, 40-50% अतिरिक्त वातन मांग के साथ 20-30% बड़े वातन टैंक की आवश्यकता होती है। सिस्टम की कुल पूंजी और ओ एंड एम लागत क्रमशः 10-20% और 5-10% तक बढ़ जाती है। अपशिष्ट जल से नाइट्रेट को और अधिक हटाने के लिए, सिस्टम में अतिरिक्त एनोक्सिक टैंक द्वारा डिनाइट्रिफिकेशन (नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण) की आवश्यकता होती है। पूंजीगत लागत 5-10% तक बढ़ जाती है। इसलिए, निम्नलिखित कारणों से TKN को निविदा दस्तावेज़ में शामिल न करने का एक निर्णय लिया गया: i. चूंकि ये संयंत्र पुराने हैं और टीएन<10 को हटाने के लिए, मौजूदा वातन टैंक/बायोरिएक्टर के भीतर एनोक्सिक जोन और एरोबिक जोन के निर्माण की आवश्यकता है क्योंकि ये एसटीपी सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया पर डिजाइन किए गए हैं। यदि ऐसा किया जाता है, तो बीओडी/टीएसएस 10/10 के नवीनतम पैरामीटर को प्राप्त करने के लिए उपचार क्षमता में वृद्धि और एचआरटी के रखरखाव को हासिल करना मुश्किल होगा। ii. वैकल्पिक रूप से, वांछित टीएन प्राप्त करने के लिए, वातन टैंक/बायोरिएक्टर को ध्वस्त और पुनर्निर्माण करके वातन टैंक के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यह रिठाला पीएच- । और कोंडली पीएच- I, II और III के पुनर्वास के दौरान किया जा रहा है जो कि हैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्त पोषित यमुना एक्शन प्लान (वाईएपी)-III के तहत निर्माणाधीन। इस प्रकार के एसटीपी को पूरा करने में लगभग 2-3 वर्ष का समय लगता है।

		iii. एनजीटी मानदंडों के करीब टीएन प्राप्त करने के लिए, अमोनिया स्तर <5 को बनाए रखने के लिए वातन टैंक/बायोरिएक्टर में हवा की आवश्यकता पर विचार किया गया है जो टीकेएन का हिस्सा है और एनजीटी मानदंडों के करीब टीएन सीमा प्राप्त करने में मदद करेगा। iv. मौजूदा एसटीपी के उन्नयन के बाद टीएन को कम करने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। कुछ प्रौद्योगिकियाँ इंडेंस (हाइड्रो क्लोन) तकनीक या निर्दिष्ट सीमा के भीतर टीएन प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन हटाने वाले बैक्टीरिया का उपयोग करने जैसी हैं या यदि आवश्यक हो तो अन्य वैकल्पिक तकनीक अलग से लागू की जाएगी। v. तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा एसटीपी के पुनर्वास को एक वर्ष की समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए एनआईटी में टीकेएन का प्रावधान जानबूझकर नहीं रखा गया था।
ज)	जिन एजेंसियों को ये कार्य आवंटित किये गये क्या उन्हें कभी आईएएफएस तकनीक आधारित म्यूनिसिपल एसटीपी चलाने का अनुभव है;	बोलीदाताओं की बड़ी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए एनआईटी में प्रावधान रखा गया था।
झ)	कार्य आवंटन से पूर्व क्या इन एजेंसियों के अनुभव का सत्यापन किया गया; और	बोलीदाताओं ने उपक्रमों के साथ विभिन्न सरकारी विभागों से जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे।
ञ)	इन कार्यों की अनुमानित लागत, औचित्य लागत व आवंटित राशि में लघु अवधि में वृद्धि करने का क्या कारण हैं?	अनुमानित लागत से विचारोत्तेजक वृद्धि निम्नलिखित अतिरिक्त कारकों के कारण थी: - क) बोली-पूर्व बैठक के दौरान अतिरिक्त वस्तुओं पर विचार के कारण। बी) एचएएम मॉडल होने के कारण कैपेक्स की शेष लागत पर 12 साल का ब्याज। ग) प्रत्येक एसटीपी पर आवश्यक कर्मचारियों की वास्तविक लागत और अन्य वैधानिक प्रावधानों सहित जीएसटी निहितार्थ। अनुमान बनाते समय इन कारकों पर विचार नहीं किया गया।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

Cheshta Yadav, IAS
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi